

₹.
25000
पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 33526




विक्रय-पत्र

अच्छ पत्र का संक्षिप्त विवरण

- | | | |
|----|-------------------|------------------------|
| 1. | भूमि का प्रकार | : कृषि |
| 2. | परगना | : विजनाद |
| 3. | गांव | : कटोना |
| 4. | सम्पत्ति का विवरण | : भूमि अदादा सख्या-902 |

सामग्री नं०

दिनांक



...

...

भारत

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES


INDIA

E 23529

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 2 -

5.	मागल की इकाई	: हेक्टर
6.	चिह्नित सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.2347 हेक्टर
7.	सड़क की स्थिति	: सुल्तानपुर रोड व अमर शक्ति पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	राजपट्टी का प्रकार	: कृषि
9.	पेड़ों का मूल्यांकन	: कुछ नहीं
10.	बोर्डिंग/कुआ/अन्य	: कुछ भी नहीं
11.	प्रतिकल्प की मात्राधि	: रु० 12,93,548/-
12.	मान्यता	: रु० 5,28,075/-
13.	स्वाम्य	: रु० 90,950/-

दिनांक 12/05/2019

 अध्यक्ष

दिनांक 12/05/2019

 अधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9.23526

बीछ्डी

खसरा नं०-१००२

- पूरुब : खसरा संख्या-१००३
- पश्चिम : खसरा संख्या-०९९१
- उत्तर : खसरा संख्या-१००१
- दक्षिण : खसरा संख्या-०९९१

पहल पक्ष की संख्या-०१

द्वितीय पक्ष की संख्या-०१

जिल्ला का विवरण

जिला का विवरण

लखनऊ पुर स्व० जिल्लाकी
निवासी-ग्राम-तानीलंडा,
मऊरा-बदीना, परगना-बिजनौर,
तहसील न जिला लखनऊ।

राम सजीवन पुर गाँव,
निवासी- ग्राम-पट्टे निडी,
पञ्जीली, मुलाबकशाम,
जिला-रायबरेली।





UBBA 857082
 1 JUN 08
 भारतीय रिज़र्व बैंक
 भारत सरकार
 Reserve Bank of India

- 4 -

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख लक्ष्मण पुत्र ह्या। त्रिंकाळी निवासी-
 ग्राम-रानीखेड़ा, मजरा-बरीना, पहाणा-बिगाडीर, तहसील व
 जिला-सह्याद्र, जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है।

राम

राम सजीवन पुत्र भोंदू, निवासी- ग्राम-पुटे निडी, कस्बीली,
 गुलबर्गागंज, जिला-रायचवेली जिन्हे आगे क्रेंता कहा गया है,
 के मास निष्पादित किया गया।

१९७३

 १९७३

१९७३

 १९७३

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

₹. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 326112

यह कि विक्रेता कृषि भूमि खसरा संख्या-902 खन्वा
0.7040 हेक्टेअर का 1/3 यानि खन्वा 0.2347 हेक्टेअर,
स्थित-ग्राम-बरीना, परगना बिजनीर, तहसील व जिला लखनऊ,
की मालिक, कामिल व काबिल है। उक्त आराजी विक्रेता की
पुश्नी जायदाद है, जो विक्रेता को बरासतन प्राप्त हुई है तथा
उपरोक्त सत्यापित पट्टाबंद अराजी फसली वर्ष 1413 से 1419
के खाता अराजी खान संख्या-00282 के अनुसार विक्रेता का
नाम अमल खसमद हो चुका है। उक्त आराजी आज विक्रेता के
कब्जे व हसन मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, देना,
दिए गए



10/10/19




10/10/19

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9 BX 144651
8-18-77
उत्तर प्रदेश सरकार
आयुक्त, उत्तर प्रदेश

अणुभार, कुर्ली, व समानत आदि से लक्षित नहीं है, उक्त आराजों में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है। अब बजटका खुद विक्रेता के उक्त आराजों तकना उपरोक्त एवं पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना कोई किसी भी प्रकार के खुद एवं सम्झौत बिना किसी दबाव के अलग मुल्य 12,98,548/- (दस लाख नौ हजार पाँच सौ बीसती मात्र) में बेला उपरोक्त को नगद बतई किया और खुद विक्रय सन्तुष्टि कल तहसील दस्तावेज तथा बेला उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त



12/9/77


आयुक्त, उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13. AV 144630
5/2/1954
गौरी कान्त शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट
गोरखपुर

कलम कर्मा व इतक गालियता आदली बयशुदा पर आज से
सकृती यत्न दिना। अब विद्रोहा व बाहिसान गिर्तना को कोई एक
व दावा विरुद्ध आदली बयशुदा व गिर्तना अनराशि के मोता से
शक्ती नहीं रहा, अगर कोई हदसा दावा कटे तो यह गिर्तना
नाजायज होत, और अगर आदली बयशुदा पूर्ण अथवा उरुका
कोई अंश मोता के स्वामित्व एवं अधिकारी से निकल जाने का
शक्या न मिले या कडी गिर्तना, रिज, अजगमर, युक्ती व जमानत
आदि से एखित बाकी जाली है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को
अधिकार होगा कि वह अपना कुल गिर्तना अनराशि पर

13/2/54


13/2/54

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100


₹. 100



ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 8 -

एजा-सुधो व नुफरान के सब विरोधा व धारिसान दिखेता से व विरोधा को अन्य समानि चल व अगल से जरिये न्यायलय धारा कद लेवे, इतने विरोधा न धारिसान दिखेता को कोई आपत्ति नही होगी।

अब होला उपरोक्त को पूरा अपिषकर से कि वह दिखेता आदमी के सम्बन्ध में समता सरकारी अधिकारों में अपने नाम दाखिल-खासिक करा लेवे।



दिनांक १९६१

दिनांक १९६१

दिनांक १९६१


दिनांक १९६१

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




आराजी उपरोक्त में खेती होती है। आराजी उपरोक्त में मक, दूधनेल, कूड़ा व झगडा आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त में 200 मीटर ऊँचा से कोई निर्माण आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग वनगर्दीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम यतौना, परगना-किलनरि के अधीनस्थ क्षेत्र के सामान्य ग्राम को अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा में स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजार कीमत



10/06/25




10/06/25

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7 621075

- 10 -

22,50,000/- लगभग प्रति हेक्टर की दर से निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीय स्थान 0.2347 हेक्टर की गलियान का 0.23,075/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है। अतः निम्नानुसार विक्रय मूल्य पर ही जनरल स्टाम्प शुल्क 90,950/- के अदा किये जा रहे हैं।

उपर्युक्त आदायी मुख्य मार्ग राजाद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

1-1-2023
2023

दिनांक 2023
2023

विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।
उक्त आदर्श वित्तीय योजना व किरी सरकारी व आम सरकारी
संस्था द्वारा अधिपूरीत नहीं है।

यह कि उक्त प्रयोग थिये गये गान्धी "विक्रेता" एवं
"क्रेता" में, जब तक वे प्रयोग को प्रतिबद्ध न हों, उनके विधिक
पनिगियमण व आचारधिकारीगण भी सम्मिलित है।


विवरण भुगतान

1. रू० 10,98,548/- (सम्पदा दस लाख अन्धानबे हजार
पांच सौ अष्टासिद्ध मात्र) कर्जादे केक सी०- १२.०३.२०११
दिनांकित 12.03.2011, पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा-हनुमानपुर, लखनऊ।

2. रू० 2,00,000/- (सम्पदा दो लाख मात्र) समद।

इस प्रकार विक्रेता को कुल वित्तिय मूल्या रू०
12,98,548/- (सम्पदा दस लाख अन्धानबे हजार पांच सौ
अष्टासिद्ध मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए, जिसकी प्राप्ति विक्रेता को
स्वीकार है।

लिहाजा यह वस्तुवैज विक्रेता ने अपनी खुरी व सजाव्दी
से लगे रीप व समरुवद सिना थिन्नी इयाग के क्रेता समरीपल के


निर्दिष्ट १२/३/११
०१/३/११


१२/३/११
१२/३/११



पक्ष में किला दिशा ताकि सफा रहे और बरतन अक्षत पर काम
आवे।

अतः आज उक्त पक्षों में हवा विक्रय विलेख पर
अपने-अपने हस्ताक्षर करके हरी निष्पादित किया।

नोट- पृष्ठ संख्या-!! पर मेक टॉल्वा काले पेन से लिखी गयी है।


दिनांक :- 12.07.2021

लक्षणक

गवाहानः-


1. 





दिनांक 12/07/21
पृष्ठ संख्या 12/21

विलेख

2. 
साथ साथ के बरतन किला/पुस्तक



दिनांक 12/07/21

पृष्ठ संख्या 12/21

साहचर्यता :


(राज सनेही)

मसाविदाकर्ता :


(विशेष कर्मचारी-सिले)
गठबोर्ड


Index

Subscription to 10000

Year 2001

Index No

0101
0102
0103
0104
0105





1975-76
1976-77


91/71
972



11/11/1975 10/11/75
11/11/75 10/11/75



10/11/75



10/11/75

10/11/75

10/11/75

10/11/75

10/11/75

PM

The Board has ...



You

2011

News


1

0001 ...
...
...
...




रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु
फिंगर प्रिंट्स


शिकंता का नाम व पता-लखन पुर 242 बिल्की गिजली राम सनीसेवा,
मथुरा-बनौना परगना-बिलौरी, तहसील 4 जिला-लखनऊ।
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :




दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



शेख का नाम व पता-राम लखन पुर गाँव, तहसील- ग्राम-पुर बिल्की, कर्नाली,
मुल्तपुराजंग, जिला-नाचबरेली।
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



रजिस्ट्रेशन अधिकारी, जेठा

आदेश संख्या: 13/07/2011 पृष्ठ

खण्ड सं. 1 अनुसूची सं. 12982

पृष्ठ सं. 203 से 320 तक पृष्ठ सं. 10206

दस्तावेज संख्या: 104

सिद्धांत के अनुसार प्रमाणित के लिए



जी. के. शर्मा

उप निदेशक (प्रशासन)

संयोजक

12/07/2011

